

दिनांक-13-04-2024

थाना –अलापुर

प्रेस नोट:-दिनांक-13-04-2024

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।
- अभियुक्त के कब्जे से निर्मित / अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ श्री आलोक प्रियदर्शी के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, पुलिस अधीक्षक नगर श्री अमित किशोर श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी दातागंज श्री कृष्ण कुमार तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक अलापुर के नेतृत्व में थाना अलापुर पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री व भारी मात्रा में नाजायज असलहो सहित 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना अलापुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त मौ0 सोबी पुत्र साहबजादे नि0 वार्ड नं0 06 कस्बा ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूँ को मय 02 अदद पौनिया-12 बोर, 02 अदद पौनिया-315 बोर, 02 अदद तमंचे-12 बोर, 03 अदद तमंचे-315 बोर, 10 अदद अधबने तमंचे, वैरल (नाल) 12 बोर, 01 वैरल (नाल) 315 बोर, एक हथौडा लोहा, 01 रेती, 01 आरी लकड़ी काटने वाली, 01 बर्मा छेद करने वाला, 01 आरीफ्रेम, 06 ब्लेड (जिसमें 03 एक तरफा धार के व 03 दोनो तरफ धार के), एक ड्रिल मशीन, 02 खोखा कारतूस 12 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 बन्डल लोहे की पत्ती, 01 पंखा (धोकनी), 01 टुकडा रेगमाल, 01 तेल की कुप्पी, 01 संडासी, 01 प्लास, 04 स्प्रिंग छोटी व बडी, 02 पेचकस, 01 बट लकड़ी का अधवना और लगभग 01 किलो कोयला लकड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 198/2024 धारा 5/25 A ACT पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही कर पेशी हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अवैध शस्त्र निर्माण कर उन्हें आसपास के क्षेत्र में बेच कर लाभ कमाना

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

मौ0 सोबी पुत्र साहबजादे नि0 वार्ड नं0 06 कस्बा ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूँ

घटनास्थल, दिनांक व समय-

हसनपुर गाँव से पहले अमरुद का बाग ग्राम हसनपुर थाना अलापुर बदायूँ दिनांक- 12.04.2024
समय 21.30 बजे

विवरण बरामदगी-

1. 02 अदद पौनिया-12 बोर

2. 02 अदद पौनिया-315 बोर
3. 02 अदद तमंचे-12 बोर
4. 03 अदद तमंचे-315 बोर
5. 10 अदद अधबने तमंचे
6. 05 वैरल (नाल) 12 बोर, 01 वैरल (नाल) 315 बोर, एक हथौडा लोहा , 01 रेती, 01 आरी लकडी काटने वाली, 01 बर्मा छेद करने वाला, 01 आरीफ्रेम, 06 ब्लेड (जिसमें 03 एक तरफा धार के व 03 दोनो तरफ धार के), एक ड्रिल मशीन, 02 खोखा कारतूस 12 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 315 वोर, 01 बन्डल लोहे की पत्ती, 01 पंखा (धोकनी), 01 टुकडा रेगमाल, 01 तेल की कुप्पी, 01 संडासी, 01 प्लास, 04 स्प्रिंग छोटी व बडी, 02 पेचकस, 01 बट लकड़ी का अधवना और लगभग 01 किलो कोयला लकड़ी

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 216/20 धारा 147/148/149/307/269/504/506 भादवि व 07 CLA ACT- थाना अलापुर
2. मु0अ0सं0 317/20 धारा 3/25 A ACT - थाना अलापुर
3. मु0अ0सं0 181/2022 धारा 3/25 A ACT - थाना अलापुर
4. मु0अ0सं0 198/24 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना अलापुर

सोशल मीडिया सेल,